**भारतीय रिज़र्व बैंक**
**अंतरराष्ट्रीय विभाग**
**केंद्रीय कार्यालय**

# भारतीय रिज़र्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय विभाग, केंद्रीय कार्यालय में – 15 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2029 तक की अवधि हेतु स्मृति चिन्हों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं को सूचीबद्ध करना

अंतरराष्ट्रीय विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय मुंबई स्थित पात्र एवं प्रतिष्ठित विक्रेताओं से विभाग की बैठकों एवं कार्यक्रमों के दौरान विदेशी प्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों को प्रदान किए जाने हेतु स्मृति चिन्हों एवं उपहारों की खरीद एवं आपूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। निविदा दस्तावेज जिसमें विस्तृत पात्रता मानदंड, निबंधन व शर्तें, आवेदन पत्र तथा घोषणा शामिल है, संलग्न है।

2. विधिवत भरे गए एवं मुहरबंद आवेदन प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय विभाग, 8वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 में 10 अप्रैल, 2026 को 11:00 बजे तक या उससे पहले प्रेषित करना अपेक्षित है।

3. बैंक को अधिकार है कि वह आवेदनों को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वीकार कर सकता है। बैंक को यह भी अधिकार है कि वह बिना किसी कारण बताए किसी भी अथवा सभी आवेदनों को अपनी अनुमोदित सूची में शामिल करने से अस्वीकार कर सकता है।

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
अंतरराष्ट्रीय विभाग, केंद्रीय कार्यालय

**भारतीय रिज़र्व बैंक**

# अंतरराष्ट्रीय विभाग

**केंद्रीय कार्यालय**

## स्मृति चिन्हों की आपूर्ति हेतु विक्रेताओं को सूचीबद्ध करना

अंतरराष्ट्रीय विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय मुंबई स्थित पात्र एवं प्रतिष्ठित विक्रेताओं से विभाग की बैठकों एवं कार्यक्रमों के दौरान विदेशी प्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों को प्रदान किए जाने हेतु स्मृति चिन्हों एवं उपहारों की खरीद एवं आपूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। विधिवत भरे गए एवं मुहरबंद आवेदन प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय विभाग, 8वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 में **10 अप्रैल, 2026 को 11:00 बजे तक** या उससे पहले प्रेषित करना अपेक्षित है। विस्तृत नियमों व शर्तों के लिए कृपया आरबीआई की वेबसाइट www.rbi.org.in के 'निविदा' खंड का संदर्भ लें।

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
अंतरराष्ट्रीय विभाग, केंद्रीय कार्यालय

# भारतीय रिज़र्व बैंक

# अंतरराष्ट्रीय विभाग

# केंद्रीय कार्यालय

# स्मृति चिन्हों की आपूर्ति हेतु विक्रेताओं को सूचीबद्ध करना

**आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख**: 10 अप्रैल 2026 को 11:00 बजे

# <u>अस्वीकरण</u>

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई ने इस दस्तावेज़ को इच्छुक पक्षों को परियोजना के बारे में पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए तैयार किया है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई/बैंक) ने यहां मौजूद जानकारी तैयार करने में आवश्यक सावधानी बरती है और उसके अनुसार यह सूचना सही है लेकिन इस दस्तावेज में दी गई जानकारी की पूर्णता या सटीकता या इसके साथ दी गई किसी सूचना के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक या उनके अधिकारियों या एजेंसियों या उनसे कोई भी संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों द्वारा कोई भी वारंटी या उसका दावा, चाहे वह व्यक्त या अंतर्निहित हो, नहीं किया जाता है।

व्यक्त जानकारी संपूर्ण नहीं है। इच्छुक पार्टियों को स्वयं पूछताछ करने और प्रतिवादियों को लिखित रूप में पुष्टि करने की आवश्यकता होगी कि उन्होंने ऐसा किया है और वे केवल निविदा प्रस्तुत करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी पर निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर दी जाती है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या इसके किसी भी प्राधिकरी या एजेंसियों या उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों के लिए बाध्यकारी नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक इस दस्तावेज़ में दर्शाए गए समय-सारणी में परिवर्तन करने, या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या कार्यविधि में परिवर्तन करने, या सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया को आगे न बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

इस परियोजना में रुचि दिखाने वाले किसी भी पक्ष या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

यह दस्तावेज़ हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। दोनो भाषाओं के संस्करणों के बीच अंतर, यदि कोई हो, की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

## सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया का सार

1. सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु सूचना **20 मार्च, 2026** को प्रकाशित की जाएगी।

2. आवेदक को केवल बैंक द्वारा डाउनलोड/जारी किए गए फॉर्म का ही उपयोग करना होगा। आवेदन फॉर्म हिंदी/अंग्रेजी में भरा जाना चाहिए। यदि कोई भी दस्तावेज़ गायब है या उस पर हस्ताक्षर नहीं हैं, तो बैंक अपने विवेक से निविदा को अमान्य मान सकता है। निविदा भरते समय की गई सभी काट-छांट और बदलावों को निविदाकर्ता के हस्ताक्षर द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। अंकों पर ओवरराइटिंग की अनुमति नहीं है। इनमें से किसी भी शर्त का पालन न करने पर बैंक के विवेकाधीन निविदा रद्द माना जाएगा।

3. **25 मार्च, 2026 को सुबह 11:00 बजे** एक बोली-पूर्व बैठक आयोजित की जाएगी। **बोली-पूर्व बैठक के पश्चात किसी भी अन्य प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा।** यह बैठक अंतरराष्ट्रीय विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 8वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 में आयोजित की जाएगी। जो आवेदक इस बैठक में भाग लेने के इच्छुक हैं, वे 24 मार्च, 2026 को या उससे पहले 16:00 बजे तक अपना नाम और ई-मेल आईडी cgmicid@rbi.org.in पर भेज सकते हैं।

4. भरे हुए आवेदन, सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ, एक सीलबंद लिफाफे में, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक भारतीय रिज़र्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय विभाग 8वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 को 10 अप्रैल, 2026 **(सुबह 11:00 बजे)** तक या उससे पहले जमा किए जाने चाहिए।

5. दस्तावेज़ में निर्दिष्ट सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक पूर्व-योग्यता आवेदक/आवेदकों के पास होने के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य संबंधी लिफाफा **10 अप्रैल, 2026 को दोपहर 03:00** बजे खोला जाएगा। इसे अंतरराष्ट्रीय विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 8वीं मंज़िल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 में खोला जाएगा। जाँच के दौरान, यदि किसी आवेदक के पास आवश्यक योग्यता नहीं पाई जाती है, या उसने गलत/असत्य जानकारी जमा की है, तो उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा और इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। केवल उन्हीं आवेदकों के आवेदनों को आगे बढ़ाया जाएगा जो निर्धारित पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं और आवश्यक दस्तावेज़ जमा करते हैं।

6. आवेदक कृपया ध्यान दें कि सूचीबद्ध करने संबंधी सूचना में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि भविष्य में जारी किया जाता है, तो उसे आरबीआई की वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा, और समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा। इसलिए, आवेदक समय-समय पर आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर अपडेट देख सकते हैं।

7. सूचीबद्ध करने के लिए योग्य पाए गए आवेदकों को पत्र या ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

8. आवेदक एक या एक से अधिक श्रेणियों के लिए सूचीबद्ध होने हेतु आवेदन कर सकते हैं।

# भारतीय रिज़र्व बैंक
# अंतरराष्ट्रीय विभाग
# केंद्रीय कार्यालय

**स्मृति चिन्हों की आपूर्ति हेतु विक्रेताओं को सूचीबद्ध करना**

**सूचीबद्धता की अवधि: (15 अप्रैल, 2026 – 31 मार्च, 2029)**

मुंबई में स्थित या मुंबई में कार्यालय/आउटलेट रखने वाले प्रतिष्ठित, अनुभवी और आर्थिक रूप से सुदृढ़ विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं से, 15 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2029 तक की अवधि के लिए, अंतरराष्ट्रीय विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई हेतु स्मृति-चिह्नों की खरीद और आपूर्ति के लिए, अंतर्राष्ट्रीय विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय के साथ सूचीबद्ध होने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. सूचीबद्ध किए गए विक्रेताओं द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले वस्तुएँ निम्नलिखित श्रेणियों को शामिल करती हैं, परंतु इन तक सीमित नहीं हैं:

| क्र. स. | वस्तुओं का विवरण | मानक विनिर्देश/ वांछित सामग्री/फिनिश | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|
| i. | ट्रॉली बैग / चमड़े के बैग / बैकपैक / ओवरनाइटर | मध्यम आकार (20-24 इंच), पॉलीकार्बोनेट या प्रीमियम नायलॉन/पॉलिएस्टर, चमड़ा, या उच्च-गुणवत्ता वाला सिंथेटिक सामग्री | जहाँ लागू हो, लोगो और नाम के साथ ब्रांडिंग, स्मार्ट और दक्ष डिज़ाइन |
| ii. | डायरी / किताबें / पेन / लैपल पिन | लेदरेट कवर के साथ प्रीमियम पेपर (80-100 GSM) | कवर पर कंपनी/संगठन का लोगो, रंग और डिज़ाइन अनुमोदित होना चाहिए। |
| iii. | परिधान (टाई/शॉल/ मफ़लर/स्कार्फ़) | बेहतरीन कढ़ाई वाला उच्च गुणवत्ता का कपड़ा, एक आकर्षक बॉक्स में अच्छी तरह से पैक किया गया, शानदार कॉर्पोरेट डिज़ाइन, छूने में मुलायम एहसास। | पसंदीदा डिज़ाइन भारतीय कलात्मकता को दर्शाने वाला हो; रंग अनुमोदित होना आवश्यक है। |
| iv. | इलेक्ट्रॉनिक सामान | पावर बैंक (>10,000mAh, सुरक्षा प्रमाणित), ब्लूटूथ स्पीकर (ब्रांडेड, वायरलेस), आदि | यात्रा की सुविधा के लिए |

| | | | |
|---|---|---|---|
| v. | छोटी मूर्ति / प्रतीक | लकड़ी या धातु के आधार पर स्थापित मूर्ति/प्रतीक का कलात्मक निरूपण, जिस पर प्लेक अंकन किया गया हो | आकार लगभग 6-10 इंच |
| vi. | भारतीय शैली की चाय/कॉफ़ी/मसाले/ मोमबत्तियाँ | विविध मिश्रण, कलात्मक स्वाद, शुद्ध/कार्बनिक मसाले, सजावटी पैकेजिंग | भारतीय मूल/ब्रांडिंग |
| vii. | भारत-केंद्रित अन्य उपयुक्त प्रीमियम स्मृतिचिह्न | | |

**नोट: बैंक द्वारा उल्लेखित ब्रांडिंग/डिजाइनिंग सहित स्मृतिचिन्ह मुद्रित किए जाने हैं।**

3. सरकारी संगठनों, सार्वजनिक उपक्रमों या प्रतिष्ठित निजी कंपनियों को समान वस्तुएँ आपूर्ति करने का अनुभव रखने वाले और यहाँ निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले इच्छुक विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे अपने आवेदन और संबंधित दस्तावेज़ 10 अप्रैल, 2026 तक जमा करें।

4. साख, उत्पाद की गुणवत्ता, अनुभव और निर्धारित समय सीमा के भीतर बड़े पैमाने पर आवश्यकताएं पूरा करने की क्षमता के मूल्यांकन के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा। चयनित विक्रेता संतोषजनक प्रदर्शन और समीक्षा के अधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए सूचीबद्ध रहेंगे।

5. कार्यालय किसी भी कारण को बताए बिना किसी भी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

6. **पूर्व-योग्यता मानदंड:** विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं के पैनल में शामिल होने के लिए पूर्व-योग्यता (पीक्यू) मानदंड:

| **क्र.स.** | **पूर्व-योग्यता मानदंड** | **विवरण** | **पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज** |
|---|---|---|---|
| 1 | फर्म की संरचना | स्वामित्व/साझेदारी फर्म/लिमिटेड देयता साझेदारी/सार्वजनिक या निजी लिमिटेड कंपनी आदि | पंजीकरण/निगमन/भागीदारी विलेख/दुकान और स्थापना लाइसेंस/व्यापार लाइसेंस की प्रति |
| 2 | अनुभव | इस कार्य-क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए | पंजीकरण/निगमन/भागीदारी विलेख/दुकान और स्थापना लाइसेंस की प्रति |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | वार्षिक आवर्त | पिछले तीन वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक आवर्त ₹25 लाख होना चाहिए और पिछले तीन वित्तीय वर्षों में लाभ अर्जित किया होना चाहिए | पिछले तीन वर्षों के आयकर विवरणी / वित्तीय विवरण (सीए द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित) जमा किया जाना है |
| 4 | ऋण-शोधन क्षमता | आपके बैंकर द्वारा जारी किए गए ऋण-शोधन क्षमता प्रमाणपत्र जमा करना होगा, जो विशेष रूप से सूचीबद्धता के लिए हो, और जिसकी राशि न्यूनतम ₹2 लाख या उससे अधिक हो। | बैंकर की ऋण-शोधन क्षमता प्रमाण पत्र (अनुबंध V) |
| 5 | विश्वसनीयता | किसी भी सरकारी/अर्ध-सरकारी/पीएसयू आदि द्वारा निष्कासित/सूची से हटाया गया न हो। | अनुबंध III में दिए गए प्रारूप के अनुसार उस संबंध में स्व-घोषणा प्रस्तुत की जानी चाहिए। |
| 6 | अपेक्षित पंजीकरण और लाइसेंस | संबंधित व्यापारों के लिए यथा लागू वैध लाइसेंस, PAN, टीआईएन नंबर, जीएसटी आदि, संबंधित पंजीकरण प्राधिकरणों के साथ होने चाहिए। | संबंधित प्राधिकरण द्वारा जारी सुसंगत प्रमाणपत्र/लाइसेंस की प्रतियाँ। |
| 7 | कार्य-स्थल | मुंबई / नवी मुंबई और भारत के अन्य टियर 1, 2 और 3 शहरों में अपना कार्यालय / प्रतिष्ठान होना चाहिए (वांछनीय) | दस्तावेज़ी साक्ष्य जैसे पंजीकरण/निगमन का प्रमाण पत्र, दुकान और स्थापना लाइसेंस की प्रति, भागीदारी विलेख आदि |
| 8 | प्रमुख ग्राहक सूची | पिछले एक वर्ष में सेवा प्रदान किए गए ग्राहकों की सूची | पिछले एक वर्ष में बोलीदाता की सेवा प्राप्त करने वाले, कम से कम तीन प्रतिष्ठित ग्राहकों द्वारा अनुबंध VII में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार जारी प्रमाणपत्र |

**उच्च स्तरीय बैठकों के लिए स्मृतिचिन्हों की आपूर्ति हेतु विक्रेताओं को सूचीबद्ध करने के नियमऔर शर्तें तथा पात्रता मानदंड**

आवेदकों से अनुरोध है कि वे अपने निविदा जमा करने से पहले नियमों और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

1. आवेदक के पास मुंबई/नवी मुंबई में स्वयं का कार्यालय/प्रतिष्ठान होनी चाहिए।
2. आवेदन पत्र के साथ प्रवरण पत्र और सहायक दस्तावेज़ एक सीलबंद लिफाफे में जमा किए जाएं, जिस पर "**स्मृति चिन्हों की आपूर्ति हेतु विक्रेताओं के पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन**" और इसे प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय विभाग, 8वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 को **10 अप्रैल, 2026 (सुबह 11.00 बजे)** तक जमा किया जाए।
3. आवेदन में दी गई जानकारी को गोपनीय रखा जाए।
4. बैंक बिना किसी कारण बताए किसी या सभी आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
5. विक्रेताओं के सूचीबद्धता के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
6. आवेदक के पास वैध बैंक खाता होना चाहिए और इस संबंध में बैंकर्स सर्टिफिकेट संलग्न V के अनुसार प्रस्तुत करना होगा।
7. बैंक किसी भी समय या सूचीबद्धता की अवधि के दौरान सूचीबद्ध किए गए आपूर्तिकर्ता से निश्चित खरीद मात्रा की गारंटी नहीं देगा।
8. पात्र आपूर्तिकर्ताओं की सूचीबद्धता की वैधता, प्रत्येक वर्ष प्रदर्शन की समीक्षा के अधीन, **31 मार्च, 2029** तक होगी।
9. आपूर्तिकर्ता को बैंक को जमा कोटेशन के पश्चात किसी भी परिस्थिति के कारण या पैकेजिंग, माल-भाड़ा, ढुलाई, कर, किराया, शुल्क, उगाही, उपकर, बीमा आदि में किसी भी प्रकार के आकस्मिक खर्च बढ़ने के आधार पर मूल्य वृद्धि का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
10. **बैंक द्वारा कोई दावा, यदि हो, लिखित में किया जाएगा –**

    (a) संबंधित बिल के भुगतान की तारीख से 30 दिनों के भीतर, यदि दावा कमी, क्षति, या विलंब से संबंधित हो,

    (b) बैंक द्वारा किया गया कोई भी ऐसा दावा सेवा प्रदाता द्वारा एक माह की अवधि के भीतर निपटाया जाएगा।
11. यदि सामग्री की आपूर्ति किश्तों/आवधिक आधार पर की जाती है, तो आपूर्तिकर्ता को बैंक द्वारा निर्दिष्ट सुपुर्दगी की समय सारणी का कड़ाई से पालन करना होगा। निर्धारित समय सारणी के अनुसार सामान की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की देरी होने पर बैंक को आदेश रद्द करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में, आपूर्तिकर्ता को बैंक से किसी भी प्रकार का मुआवजा, हानि या अन्य किसी राशि की वसूली का अधिकार नहीं होगा। हालांकि, बैंक को उस हानि की वसूली का अधिकार होगा जो उसे समय पर आपूर्ति न होने/देरी से आपूर्ति होने या किसी अन्य आपूर्तिकर्ता से ऑर्डर देने के कारण हो सकती है, और आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति करने पर सहमत मूल्य

और बैंक द्वारा अन्य आपूर्तिकर्ता के माध्यम से नए ऑर्डर पर भुगतान किए गए मूल्य के बीच का अंतर वसूलने का अधिकार होगा।

12. **बिल प्रस्तुत करना:**

क) आपूर्तिकर्ता को सुपुर्दगी के समय बिल प्रस्तुत करना होगा। बिल में आपूर्ति की गई वस्तुओं का विवरण स्पष्ट रूप से होना चाहिए जैसे कि सामग्री का नाम, मात्रा, दर (MRP), HSN संख्या, इंडेंट संख्या और तारीख आदि।

ख) प्रस्तुत किए गए बिल के साथ मूल इंडेंट होना चाहिए और प्रिंटेड फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसमें विक्रेता का नाम, उसका पता, संपर्क संख्या, PAN/TAN/GST/HSN संख्या आदि स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो। और भुगतान के लिए प्रस्तुत करने से पहले इसे आरबीआई, मुंबई में संबंधित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया होना चाहिए।

13. **बिल का भुगतान**:

प्रस्तुत बिल का भुगतान सामान्यतः बिल जमा करने की तिथि से 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। हालांकि, किसी भी कारण से भुगतान 15 दिनों से अधिक देरी होने पर बैंक द्वारा कोई ब्याज/हानि का भुगतान नहीं किया जाएगा। भुगतान NEFT के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए आपूर्तिकर्ता को बैंक का पता, शाखा का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड आदि जैसी आवश्यक जानकारी, जैसा कि अनुबंध IV में है, प्रदान करनी होगी।

14. सेवा प्रदाता पूर्ण रूप से सभी केंद्रीय और राज्य कानूनों, विभिन्न करों (आयकर आदि), अनुबंध कर्मियों, न्यूनतम मजदूरी, मुआवजा, कर्मचारी भविष्य निधि, बोनस, ग्रेच्युटी आदि से संबंधित श्रम और औद्योगिक कानूनों का पालन करने के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा, जैसे कि ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम 1970, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) केंद्रीय नियम, 1971; बालक श्रम (प्रतिशेध और विनियमन) अधिनियम, 1986; मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (केंद्रीय) नियम, 1950; कर्मचारी देयता अधिनियम, 1938; कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923; औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947; प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 आदि और किसी भी अन्य लागू अधिनियम/नियम जो राज्य/केंद्रीय सरकार/नगर निगम के अंतर्गत प्रचलित हैं, जिनका संबंध आरबीआई को सेवाएँ प्रदान करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों से है।

15. संपूर्ण कार्य कार्य आदेश के अनुसार बोलीदाता द्वारा निष्पादित किया जाएगा और बोलीदाता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बिना बैंक की लिखित सहमति के कार्य या इसके किसी भी भाग, शेयर या हित को स्थानांतरित, समनुदेशन या उपठेका नहीं कर सकता। उपरोक्त के बावजूद, ऐसा अनुमति देने का निर्णय रिज़र्व बैंक का अंतिम और बोलीदाता पर बाध्यकारी होगा।

16. बैंक किसी भी सशर्त बोलियों को स्वीकार नहीं करता। यदि विक्रेता द्वारा प्रस्तुत बोली में कोई शर्तें हों, तो बिना किसी कारण बताए वह बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

17. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधान:

क) आपूर्तिकर्ता "महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। यदि बैंक के परिसर में अपने कर्मचारी के खिलाफ किसी यौन उत्पीड़न की शिकायत होती है, तो शिकायत आपूर्तिकर्ता द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी, और आपूर्तिकर्ता उक्त अधिनियम के तहत शिकायत के संबंध में उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

ख) आरबीआई के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ आपूर्तिकर्ता के किसी भी पीड़ित कर्मचारी से यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान आरबीआई द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।

ग) आपूर्तिकर्ता किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा जिसे विक्रेता के कर्मचारियों से जुड़ी घटना के मामले में भुगतान करने की आवश्यकता हो, उदाहरण के लिए आरबीआई के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि आपूर्तिकर्ता के कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न समिति द्वारा प्रमाणित कर दिया जाता है।

घ) आपूर्तिकर्ता अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूक करने हेतु जिम्मेदार होगा।

18. **अप्रकटीकरण:** आपूर्तिकर्ता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आरबीआई की अवसंरचना/प्रणालियों/उपकरणों आदि की ऐसी कोई भी सूचना, सामग्री और विवरण, जो इस निविदा के संबंध में संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान आपूर्तिकर्ता या उसके कर्मचारियों के अधीन व जानकारी में आती है, प्रकट नहीं करेगा और इसे सर्वथा गोपनीय रखेगा। आपूर्तिकर्ता इस निविदा के अनुपालन में निष्पादित किए जाने वाले संविदा के सभी विवरण को निजी व गोपनीय रखेगा, सिवाय इसके कि उक्त के दायित्वों का पालन करने या लागू कानूनो का अनुपालन करने हेतु इसकी आवश्यकता हों। आपूर्तिकर्ता आरबीआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी व्यापार या तकनीकी पत्र या अन्यत्र कार्यों का विवरण प्रकट व प्रकाशित नहीं करेगा और न ही करने की अनुमति देगा। आपूर्तिकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा कि इस निविदा तथा इस निविदा के अनुपालन में निष्पादित किए जाने वाले करार के तहत गोपनीय सूचनाओं के अप्रकटन के दायित्व का पालन किया जा रहा हैं और यह उन कर्मचारियों पर बाध्यकारी होगा। अप्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में आपूर्तिकर्ता का दायित्व इस निविदा के अनुपालन में निष्पादित किए जाने वाले करार की समाप्ति या बैंक के साथ संबंधों के किसी भी कारण से समाप्ति के बाद भी जारी रहेगा।

19. आरबीआई, मुंबई में वस्तुएँ पहुँचाने के लिए डिलीवरी स्टाफ केवल विक्रेता द्वारा नियोजित किया जाएगा और आरबीआई किसी भी तरह से उनके नियोजन/नियुक्ति की शर्तों या प्रदाता द्वारा किसी भी श्रम कानून का उल्लंघन होने का उत्तरदायित्व नहीं लेगा। इस संबंध में, विक्रेता को नियोजित/नियुक्त स्टाफ को सूचित करना होगा। स्टाफ के पास डिलीवरी सेवा का आवश्यक अनुभव होना चाहिए। स्टाफ उचित पोशाक में होना चाहिए और सौजन्यपूर्ण, सभ्य और जागरूप होना चाहिए। डिलीवरी स्टाफ को अंग्रेज़ी/हिंदी से अच्छी तरह से परिचित होना चाहिए, उन्हें आरबीआई द्वारा जारी प्रवेश पास प्राप्त करना होगा और डिलीवरी के दौरान व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शित करना होगा। बिना वैध प्रवेश पास के डिलीवरी स्टाफ को बैंक के परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।

20. विक्रेता द्वारा आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए तैनात किए गए स्टाफ/कर्मचारी भारतीय रिज़र्व बैंक के कर्मचारी होने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं करते। किसी भी स्थिति में, बैंक और बोलीदाता/सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से तैनात किए गए व्यक्तियों के बीच नियोक्ता-कर्मी का संबंध नहीं होगा।

21. विक्रेता आदेशों में कोई परिवर्तन, परिवर्धन या संशोधन नहीं कर सकता। परिवर्तन, यदि आवश्यक हों, तो केवल बैंक की पूर्व अनुमति से किए जा सकते हैं।

22. बैंक किसी भी कारण से, या बिना किसी कारण बताए, इस व्यवस्था को उस अवधि की समाप्ति से पहले विक्रेता को 30 दिन का नोटिस जारी करके, समाप्त कर सकता है जो इस निविदा के अंतर्गत निष्पादित होने वाले करार में उल्लिखित हो। हालांकि, बैंक नोटिस अवधि के दौरान आदेश देने का अधिकार सुरक्षित रखता है, और विक्रेता बैंक को आवश्यक सामग्री की आपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा।

23. **भ्रष्ट, धोखाधड़ीपूर्ण, या अनैतिक प्रथाएँ**:

आपूर्ति किए जाने वाले सामानों की गुणवत्ता उत्तम होनी चाहिए (बाजार में उपलब्ध सर्वोत्तम मान्यता प्राप्त ब्रांड)। इसके अनुपालन में, शर्तें निम्नलिखित रूप में निर्धारित की जाती हैं:

क) आपूर्तिकर्ता बैंक के किसी भी अधिकारी की सूचीबद्धता प्रक्रिया में कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए किसी भी मूल्य की वस्तु देने, लेने, देने की पेशकश करने या मांगने का सहारा नहीं लेगा।

ख) आपूर्तिकर्ता बैंक के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के उद्देश्य से सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया अथवा संविदा के कार्यान्वयन में तथ्यों की गलत बयानी का सहारा नहीं लेगा।

ग) यदि किसी भी समय बैंक यह निर्धारित करता है कि आपूर्तिकर्ता ने भ्रष्ट या धोखाधड़ीपूर्ण प्रथाओं में शामिल है, तो बैंक आपूर्तिकर्ता को या तो अनिश्चितकाल के लिए या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए, अयोग्य घोषित करेगा।

घ) आपूर्तिकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी उद्देश्य के लिए उसके द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु से कम न हो। आपूर्तिकर्ता को नियुक्त किए गए सुपुर्दगी कर्मियों की पूरी जानकारी होनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल वे लोग आरबीआई ड्यूटी के लिए तैनात किए जाएं जिनका पुलिस रिकॉर्ड सही हो। आपूर्तिकर्ता बैंक को सुपुर्दगी कर्मियों की तस्वीरों की प्रतियां सरकार द्वारा जारी उनके फोटो

पहचान पत्र (PAN, आधार, बैंक पासबुक, वोटर आईडी) के साथ उनके नाम, पते और संपर्क नंबरों के साथ उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा।

ङ) बैंक, सफल आवेदक के साथ संभावित रूप से किए जाने वाले संविदा के उल्लंघन के लिए किसी भी अन्य उपाय को अपरंपरागत रूप से प्रभावित किए बिना, अपनी पूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार, निम्नलिखित किसी भी कारण से आदेश को रद्द कर सकता है या करार को भी समाप्त कर सकता है:

i. अवमानक/नकली/वैकल्पिक वस्तु की आपूर्ति।.

ii. सामान की आपूर्ति में विलंब/आपूर्ति से इनकार/सामान की आपूर्ति न करना।

iii. बिल में कीमतों के लिए ज़्यादा पैसे वसूलना, या एक ही आपूर्ति के लिए एक से ज़्यादा बार दावा करना।

iv. यदि आपूर्तिकर्ता संविदा के तहत किसी अन्य दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है।

v. बैंक के निर्णय में, यदि आपूर्तिकर्ता भ्रष्ट या धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में शामिल रहा है, या बैंक द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहता है।

24. **दंड** – बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता में कमी आती है, या सेवा अवमानक/अधूरी है, गतिविधियाँ अनियमित हैं, सामग्री की गुणवत्ता, स्वच्छता आदि में कोई कमी या असंतोषजनक स्थिति है, तो वह जुर्माना लगा सकता है। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में विलंब होता है, तो बैंक, इस संबंध में उठाए जा सकने वाले किसी भी अन्य कदम पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जुर्माना लगा सकता है; इसके तहत तीन दिनों तक के विलंब के लिए देय शुल्कों में 50% की कटौती और अपरिहार्य घटना' या अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामलों के अलावा सात दिनों से अधिक के विलंब के लिए देय शुल्कों में 100% की कटौती की जा सकती है। इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, बैंक का निर्णय ही अंतिम और बाध्यकारी माना जाएगा। तीन बार आरबीआई के कार्य-आदेशों का अनुपालन न करने वाले विक्रेताओं को बैंक द्वारा लिस्ट से हटाया जा सकता है, तथा बैंक ऐसे विक्रेताओं को किसी भी निविदा में भाग लेने, किसी भी लेन-देन में शामिल होने या बैंक के साथ कोई भी करार करने से तीन वर्ष की अवधि के लिए वंचित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

25. **अपरिहार्य घटना -** कोई भी पक्ष अपने दायित्वों को पूरा करने में किसी भी विलंब या उन्हें पूरा न कर पाने के लिए तब तक उत्तरदायी नहीं होगा, जब तक कि वह देरी या विफलता नीचे दी गई किसी भी वजह से न हुई हो (चाहे वह भारत में हुई हो या अन्यत्र, और जिससे आपूर्तिकर्ता के दायित्वों को पूरा करने पर प्रभाव पड़ता हो), जैसे: दैवीय घटना या कोई शासकीय कार्रवाई, आग, भूकंप, धमाका, दुर्घटना, औद्योगिक विवाद, नागरिक अशांति, या कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी भी पक्ष के नियंत्रण से बाहर हो। इस संविदा के पक्ष ऐसी किसी भी विलंब को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जिस घटना के कारण देरी हुई थी, उसके समाप्त होने पर, दोनों पक्ष, परिस्थितियों के अनुसार जहाँ तक संभव हो, इन नियमों और शर्तों में बताए गए अपने-अपने

दायित्वों का वहन करेंगे।

26. **क्षतिपूर्ति -** आपूर्तिकर्ता को इस निविदा के तहत कार्य के निष्पादन या उससे संबंधित किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए बाध्य होने के संबंध में बैंक के विरुद्ध उठाए गए कदम या किए गए सभी कार्यवाहियों, मुकदमों, दावों और मांगों के खिलाफ बैंक को क्षतिपूर्ति करनी होगी, तथा इस निविदा के तहत कार्य के निष्पादन के लिए बाध्य होने के संबंध में आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध किसी भी कार्यवाही या मुकदमा किए जाने के परिणामस्वरूप बैंक को हुए किसी भी हानि या क्षति के खिलाफ भी क्षतिपूर्ति करनी होगी।

27. **समाप्ति**:

क) असंतोषजनक/अपर्याप्त सेवा, धोखाधड़ी की गतिविधियों, वस्तुओं की गुणवत्ता, स्वच्छता आदि जैसे कारणों से जुर्माना लगाने और 30 दिन की नोटिस के साथ करार समाप्त करने का भी बैंक के पास अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, बैंक का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

ख) बैंक का अधिकार है कि बिना किसी कारण बताए 30 दिन की नोटिस देकर कराक समाप्त कर सकता है।

ग) **परस्पर सहमति से समाप्ति :** पैनल से बाहर निकलने को इच्छुक आपूर्तिकर्ता/आपूर्तिकर्ताओं को इसके कारण(कारणों) का उल्लेख करते हुए नोटिस देना होगा। बैंक द्वारा स्वीकृति मिलने पर, आपूर्तिकर्ता/आपूर्तिकर्ताओं को बैंक द्वारा स्वीकृति की तिथि से 30 दिनों के बाद सूची से हटा दिया जाएगा और ऐसे आपूर्तिकर्ता के साथ किए गए करार को समाप्त कर दिया जाएगा।

28. इस टेंडर की प्रतिक्रिया में आवेदन प्रस्तुत करने और इसके पश्चात करार को निष्पादित करने के संबंध में होने वाला पूर्ण व्यय विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/एजेंसी द्वारा ही वहन किया जाएगा।

29. इस टेंडर की प्रतिक्रिया में आवेदन प्रस्तुत करने और इसके पश्चात करार को निष्पादित करने के संबंध में होने वाला पूर्ण व्यय विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/एजेंसी द्वारा ही वहन किया जाएगा।

30. जो विक्रेता/आपूर्तिकर्ता अभी बैंक के साथ सूचीबद्ध हैं, उन्हें भी सूचीबद्ध होने के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा।

31. आवेदक के पास सूचीबद्धता हेतु आवश्यक 'पूर्व-योग्यता' मानदंड होने के प्रलेखी साक्ष्य संबंधी लिफाफा, जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट है, **10 अप्रैल, 2026 को दोपहर 03:00 बजे**, या उसके पश्चात किसी भी उपयुक्त तारीख को खोला जाएगा।

संवीक्षा के दौरान, यदि किसी आवेदक के पास आवश्यक पूर्व-योग्यता मानदंड नहीं पाए जाते हैं, या उसने गलत/असत्य जानकारी दी है, तो उसके आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है। केवल उन्हीं आवेदकों के आवेदनों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, जो निर्धारित पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं और जिन्होंने आवश्यक दस्तावेज़ जमा किए हैं।

32. यह पैनल, कार्य-निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा के अधीन रहते हुए, अस्तित्व में आने की तारीख से तीन

वर्षों तक वैध रहेगा। अवमानक समीक्षा वाले किसी भी सूचीबद्ध विक्रेता को, किसी भी प्रकार के मुआवज़े के दावे के बिना, पैनल से हटाया जा सकता है; ऐसी स्थिति में, उक्त विक्रेता के साथ किया गया करार समाप्त कर दिया जाएगा और उसे तीन वर्षों की अवधि के लिए बैंक के साथ किसी भी निविदा या कार्य में भाग लेने से भी प्रतिबंधित किया जा सकता है।

33. नमूने / विनिर्देश बैंक द्वारा उपलब्ध कराए जाएँगे और आवश्यकता के आधार पर सूचीबद्ध विक्रेताओं से कोटेशन माँगे जाएँगे।

34. केवल सूचीबद्ध होने और संविदा निष्पादित करने मात्र से किसी विक्रेता/आपूर्तिकर्ता को बैंक से कोई कार्य-आदेश प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

35. **विवाद समाधान :** इस निविदा और इस निविदा के अनुपालन में निष्पादित किए जाने वाले करार से संबंधित सभी विवादों का निपटारा पक्षों के बीच चर्चा के माध्यम से सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जाएगा। किसी भी अनिर्णीत विवाद की स्थिति में, उसे पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष संदर्भित किया जाएगा। यदि पक्ष एकमात्र मध्यस्थ पर सहमत नहीं होते हैं, तो प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा, और नियुक्त दोनों न्यायाधीश तीसरे न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे, जो अध्यक्ष न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। ऐसी कार्यवाही पर माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान लागू होंगे तथा मध्यस्थता की कार्यवाही मुंबई में होगी। इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ का आदेश अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान, आपूर्तिकर्ता/विक्रेता बैंक के साथ किए जाने वाले करार के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन जारी रखेगा, जब तक कि बैंक द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाए। यह निविदा केवल मुंबई की न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन है। किसी भी कानूनी विवाद के निपटारे के लिए केवल पारस्परिक सहमति से वैकल्पिक निपटारा माध्यम का उपयोग किया जा सकता है।

36. उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तुत न किए गए आवेदन और/या असत्य या अपर्याप्त जानकारी वाले आवेदन अस्वीकृत किए जाने के लिए पात्र होंगे। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

37. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के सभी पृष्ठ, जिसमें सभी संलग्नक शामिल हैं, क्रमांकित होने चाहिए, विधिवत रूप से भरे जाने चाहिए, बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित और मुहर लगाए जाने चाहिए।

38. आवेदकों से अनुरोध है कि जमा करने की अंतिम तिथि से पहले नियमित रूप से टेंडर साइट www.rbi.org.in देखें, ताकि इस टेंडर के संबंध में बाद में अपलोड की जाने वाली किसी भी परिवर्तन की जानकारी प्राप्त की जा सके।

39. बैंक को अधिकार है कि वह बिना किसी कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों को अस्वीकार कर सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर निविदा पुनः जारी करने का अधिकार भी है।

40. तीन बार आरबीआई के कार्य-आदेशों का अनुपालन न करने वाले विक्रेताओं को बैंक द्वारा लिस्ट से हटाया जा सकता है, तथा उनके साथ किए गए करारों को रद्द कर दिया जाएगा।

41. आरबीआई को खरीद आदेशों या अन्य किसी पहलू के संबंध में किसी भी समय किसी भी विक्रेता से स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है।
42. यदि निविदा प्रक्रिया के दौरान या निविदा आवंटन के बाद भी किसी भी समय बोलीदाता द्वारा प्रदान की गई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो विक्रेता को सूची से हटा दिया जाएगा।
43. बैंक निर्धारित अवधि के दौरान न्यूनतम मूल्य/राशि की खरीद का कोई प्रतिबद्धता नहीं देता है।
44. यह ध्यान दिया जाए कि ग्राहक प्रमाणपत्र बैंक द्वारा सत्यापन एवं क्रॉस चेकिंग के अधीन है।

प्रवरण पत्र प्रारूप

प्रति

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
अंतरराष्ट्रीय विभाग,
8वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट,
मुंबई - 400 001

प्रिय महोदय,

**<u>स्मृति चिन्हों की आपूर्ति हेतु विक्रेताओं को सूचीबद्ध करना</u>**

निविदा संख्या ---- दिनांक ---- में निर्दिष्ट शर्तों की जांच करने और आवेदन से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के पश्चात, मैं/हम एतद्द्वारा उक्त निविदा में निर्दिष्ट स्मृति-चिह्नों की आपूर्ति करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं; ऐसा करते समय हम निविदा में निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करेंगे, और अन्य सभी मामलों में, जो भी शर्तें लागू हों, उनके अनुरूप कार्य करेंगे।

2. यदि यह आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो मैं/हम एतद्द्वारा संलग्न निविदा दस्तावेज़ के सभी यथा लागू नियमों और शर्तों तथा अन्य प्रावधानों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हूं/हैं, अथवा ऐसा न कर पाने की स्थिति में, उक्त शर्तों में उल्लिखित राशि को ज़ब्त करवाने और भारतीय रिज़र्व बैंक को उसका भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

3. मैं/हम एतद्द्वारा अपने ग्राहकों की एक सूची संलग्न कर रहे हैं, जिसमें संपर्क अधिकारियों (अर्थात्, वे व्यक्ति जिनसे आवश्यकता पड़ने पर भारतीय रिज़र्व बैंक संपर्क कर सकता है) के नाम, डाक पते, ई-मेल आईडी, टेलीफ़ोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर, फ़ैक्स नंबर आदि जैसे पूर्ण विवरण शामिल हैं।

4. यह संज्ञान में है कि आरबीआई निर्धारित अवधि के दौरान खरीद की किसी भी न्यूनतम/अधिकतम राशि की गारंटी नहीं देता है।

हस्ताक्षर हेतु प्राधिकृत कंपनी के निदेशक का नाम (या)
साथ में दिए गए निविदा दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने हेतु मुख्तारनाम प्राप्त व्यक्ति का नाम। (मुख्तारनामा की प्रमाणित मूल प्रति जमा करनी होगी।)

भवदीय/भवदीया,

मुहर सहित प्राधिकारी हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

अनुबंध I

**<u>विक्रेताओं के सूचीबद्धता हेतु आवेदन</u>**:

प्रति
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
अंतरराष्ट्रीय विभाग,
8वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट,
मुंबई - 400 001

प्रिय महोदय,

स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित आपके विज्ञापन संख्या ....................... दिनांक ................. के संदर्भ में, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें स्मृति-चिह्नों की आपूर्ति हेतु पैनल में शामिल करें

| | | |
|---|---|---|
| 1 | आवेदक/संस्था का नाम | |
| | पंजीकृत प्रधान कार्यालय का पता | |
| | मुंबई/नवी मुंबई और भारत के अन्य शहरों में कार्यालय/एजेंसी/शाखा का पता | |
| | लैंडलाइन नंबर | 1.<br>2. |
| | मोबाइल नंबर | 1.<br>2. |
| | ई-मेल आईडी | |
| 2 | संगठन का प्रकार (एकल स्वामित्व / साझेदारी फर्म / सार्वजनिक या निजी लिमिटेड कंपनी आदि) | |
| | संगठन/फर्म के स्वामी/भागीदारों/निदेशकों का नाम | |

| | | |
|---|---|---|
| | पंजीकरण संख्या | |
| | पंजीकरण प्राधिकारी का नाम | |
| | पंजीकरण की तारीख | |
| 3 | क्या कम्पोजिट योजना के अंतर्गत पंजीकृत है (हाँ/नहीं) | |
| | जीएसटी पंजीकरण सं. | |
| | टीआईएन सं. /बिक्री कर सं. PAN/'TAN | |
| 4 | क्या यह सूक्ष्म या लघु उद्यम श्रेणी के अंतर्गत आता है? (हाँ / नहीं) | |
| | अगर हाँ, तो क्या एमएसएमइ अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं (हाँ/नहीं) [प्रति जमा की जानी अपेक्षित है] | |
| 5 | परिचालन में है (वर्ष) | |
| 6 | पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए संगठन का वार्षिक आवर्त (रुपये में लाख) [साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है] | 2022-23:<br>2023-24:<br>2024-25: |
| 8 | इस क्षेत्र में आपूर्ति का अनुभव – प्रमुख ग्राहकों की सूची [पिछले तीन वित्तीय वर्ष के प्रलेखी साक्ष्य साथ में लगाएं] | |
| 8 | किसी भी लंबित सिविल मुकदमे से संबंधित जानकारी | |

स्थान:

दिनांक: आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

अनुबंध II

आवेदन पूरा करने के लिए जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

1. आवेदन पत्र। (अनुबंध I)
2. निविदा दस्तावेज में उल्लिखित योग्यता मानदंडों के संबंध में सभी संबंधित दस्तावेज।
3. विधिवत हस्ताक्षरित और मुहरबंद प्राधिकार पत्र।
4. प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगे हुए नियम और शर्तें।
5. निगमन प्रमाण पत्र की प्रति (कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियों के मामले में) / पंजीकरण प्रमाण पत्र (साझेदारी फर्मों और एकल स्वामित्व वाली संस्थाओं के मामले में)।
6. ज्ञापन और संस्था की शर्तों की प्रति (कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियों के मामले में) / साझेदारी विलेख (साझेदारी फर्मों के मामले में)।
7. घोषणा पत्र की विधिवत भरी हुई और सत्यापित प्रति (अनुबंध III)।
8. बैंकरों का विवरण (अनुबंध IV)।
9. बैंकर का प्रमाण पत्र (अनुबंध V)।
10. पिछले तीन वर्षों के कार्यों / आपूर्तियों का विवरण (अनुबंध VI)।
11. आवेदक के प्रदर्शन के संबंध में ग्राहक का प्रमाण पत्र (अनुबंध VII)।
12. किसी भी अपराध में दोषसिद्धि न होने / कोई मामला लंबित न होने की घोषणा (अनुबंध VIII)।
13. आपूर्तिकर्ता / विक्रेता को आवंटित PAN / TAN कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति, और आवेदन की तिथि तक व्यवसाय संचालित करने के लिए लागू कानूनों के तहत कोई अन्य वैध लाइसेंस।
14. पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2020-21, 2021-22 और 2022-23) के लिए जमा की गई लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, आवर्त के संबंध में लेखा परीक्षक के प्रमाण पत्र और आयकर रिटर्न की स्व-सत्यापित प्रति।
15. जीएसटी पंजीकरण और एमएसएमई पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति (यदि एमएसई के रूप में पंजीकृत है)।

नोट: उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज़ न जमा किए गए आवेदनों पर सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

अनुबंध ।।।

इच्छुक आवेदक द्वारा भरा जाने वाला एवं हस्ताक्षरित घोषणा पत्र

1. मैं/हमने योग्यता शर्तों तथा अन्य नियम व शर्तों को ध्यान से पढ़ा और समझा है तथा मैनें/हमने यह सुनिश्चित कर लिया है कि मैं/हम सभी योग्यता शर्तों को पूरा कर रहे हैं।
2. उपरोक्त प्रदान की गई जानकारी मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य है तथा यदि कोई जानकारी असत्य या त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो मुझे/हमें सूचीबद्धता की प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है अथवा यदि पैनल में शामिल किया गया है, तो मुझे/हमें आपूर्तिकर्ताओं की स्वीकृत सूची से हटाया जा सकता है।
3. मैं/हम समझते हैं कि बैंक के पास सूचीबद्धता के लिए किसी भी या सभी आवेदनों को आंशिक या पूर्ण रूप से, बिना किसी कारण बताए, स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। आपूर्तिकर्ता के चयन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक का निर्णय मेरे/हमारे लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
4. मैं/हम समझता/समझते हूँ/हैं कि यदि सूचीबद्ध किया गया है, तो मेरा/हमारा प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाने पर मुझे/हमें आपूर्तिकर्ताओं की स्वीकृत सूची से हटाया जा सकता है तथा तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए मुझे/हमें बैंक के साथ लेनदेन से वंचित किया जा सकता हैं।
5. हमारे व्यावसायिक समूह की कोई अन्य फर्म/कंपनी ने आरबीआई मुंबई के साथ आवेदित खंड में सूचीबद्ध होने के लिए आवेदन नहीं किया है।
6. मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्ध-सरकारी/पीएसयू संगठनों/नियामक निकायों द्वारा वंचित/सूची से हटाया नहीं गया है।
7. मैं/हम इससे भी सहमत हैं कि हमारे ग्राहक/बैंकर आदि से कार्यों के संबंध में पूछताछ की जाने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है।

स्थान:

दिनांक:

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

(इस बात से अवगत है कि बैंक के पास नियमों व शर्तों में कोई भी परिवर्धन/हटाव/संशोधन करने के अलावा आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। बैंक द्वारा आवेदन के स्वीकार करने से कार्य के आवंटन की गारंटी नहीं होती है।)

अनुबंध IV

## बैंकर का विवरण

(आवेदक के पत्र-शीर्ष पर दिया जाना अपेक्षित है)

| विवरण | **बैंकर 1** | **बैंकर 2** |
|---|---|---|
| बैंक, शाखा का नाम और पूरा डाक पता, जिसमें आईएफएससी और ई-मेल आईडी शामिल हों। | | |
| खाताधारक/फर्म का नाम | | |
| खाते का प्रकार और खाता संख्या | | |
| वह अवधि, जिस दौरान सेवा प्रदाता ने बैंकर के साथ बैंकिंग की है (वर्षों की संख्या निर्दिष्ट करें)। | | |
| कोई भी अन्य जानकारी, जो सेवा प्रदाता अपने बैंकरों के बारे में देना चाहे। | | |

अनुबंध V

## बैंकर प्रमाणपत्र

प्रति

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
अंतरराष्ट्रीय विभाग,
8वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट,
मुंबई - 400 001

अनुसूचित बैंक से बैंकर प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सुश्री/श्री/श्रीमती ........................................, जिनका पता ...............................................................................उल्लिखित किया गया है, हमारे बैंक के सम्माननीय ग्राहक हैं तथा इन्हें रु. ............................ (रुपये ..............................................) की सीमा तक के कार्य सौंपे जाने के लिए योग्य समझा जा सकता है।

इस प्रमाणपत्र को बिना किसी गारंटी के जारी किया जाता है तथा बैंक या इसके किसी भी अधिकारी का इसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

कृते बैंक

(मुहर सहित हस्ताक्षर)

दिनांक:
नाम व पदनाम:
टेलीफोन सं:
नोट**:**

1. बैंकर का प्रमाणपत्र बैंक के पत्र-शीर्ष पर होना चाहिए और लिफाफे में सील करके सूचीकरण प्राधिकारी, इस संबंध में प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय विभाग, 8वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 को भेजा जाना है।
2. भागीदारी फर्म/एलएलपी के मामले में प्रमाणपत्र में बैंक में दर्ज सभी भागीदारों के नाम शामिल किए जाए।

अनुबंध VI

**पिछले तीन वर्षों के कार्यों/आपूर्तियों के विवरण**

| क्र.स. | कार्य का विवरण | लागत (₹) | वर्ष | उस संस्था का नाम जिसके लिए आपूर्ति की गई |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

अनुबंध VII

**आवेदक के कार्य-निष्पादन के संबंध में ग्राहक प्रमाणपत्र**

1. ग्राहक का नाम और पता

2. श्री / मेसर्स द्वारा किए गए कार्यों का विवरण

3. कार्य का नाम और संक्षिप्त विवरण

4. करार संख्या और दिनांक

5. करार की राशि

6. करार शुरू होने की दिनांक

7. करार समाप्त होने का दिनांक

8. एजेंसी के साथ संबंध की अवधि

9. दी गई सेवाओं में कमियों / आपूर्ति की गई वस्तुओं की गुणवत्ता में कमी के लिए लगाए गए जुर्माने का विवरण (जुर्माना लगाने की तारीख, जुर्माने की राशि और कारण)

10. करार के दौरान एजेंसी के साथ हुए विवादों का विवरण

11. एजेंसी द्वारा दी गई सेवा की गुणवत्ता और आपूर्ति की गई वस्तुओं की गुणवत्ता पर सामान्य प्रतिक्रिया

12. दी गई सेवा / आपूर्ति की गई वस्तुओं की गुणवत्ता के आधार पर विक्रेता / एजेंसी की रेटिंग: उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / संतोषजनक / खराब

13. सिफारिश, यदि कोई हो, या कोई अन्य प्रतिक्रिया

(मुहर सहित ग्राहक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

अनुबंध VIII

**किसी भी अपराध/लंबित मामले में दोष-सिद्धि न होने की घोषणा**

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं/हम, ......................................................(आवेदक/कार्यालय का नाम), जिसका पंजीकृत कार्यालय (कार्यालय का पता) .......................................................................................पर स्थित है, के विरुद्ध किसी भी न्यायालय या अधिकृत निकाय के समक्ष कोई भी प्रशासनिक और/या आपराधिक मामला लंबित नहीं है। मैं/हम, आगे यह भी प्रमाणित करते हैं कि मुझे/हमें कभी भी किसी प्रशासनिक अपराध और/या जुर्म का दोषी/अपराधी नहीं पाया गया है। मैं/हम यह समझते हैं कि उपरोक्त तथ्यों की सत्यता के संबंध में कोई भी गलत बयानी किए जाने पर, मेरे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा और/या प्रदान की गई पात्रता को पूर्णतः रद्द कर दिया जाएगा; साथ ही, मेरे/हमारे विरुद्ध प्रशासनिक और/या आपराधिक मामले दर्ज करने का अधिकार भी सुरक्षित रहेगा।

हस्ताक्षर:

नाम:

दिनांक:

विक्रेता का मुहर: